महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

jktsæ izlkn feJ
Rajendra Prasad Mishra
dqylfpo
Registrar

nwjHkk"k@**Phone :** +91-7152-230902
QSDl@**Fax** **:** +91-7152-247602

Øekad% 003/1998/वि.प./9(24)–39/16

fnukad : 02.05.2016

ifji=

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुम्बई में 18 एवं 19 अप्रैल, 2016 को सचिव, उच्चतर शिक्षा, भारत सरकार के साथ 'उच्च शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता' विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। इसी तारतम्य में एक विभाग के रूप में ऐतिहासिक रूप से विचार किया जाना है कि अकादमिक यात्रा किस रूप में और किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

mfpr (उपलब्धियां, चिंताएं एवं तमन्नाएँ) नाम से यह प्रयास अपेक्षित है। इसके संबंध में विश्वविद्यालय को यूजीसी एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत कराना है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों/क्षेत्रीय केंद्र प्रभारियों एवं दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक से अनुरोध है कि वे निम्नानुसार विवरण (अधिकतम दस स्लाइड में) विद्या–परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें :

1. विभाग का आरम्भ
2. संचालित पाठ्यक्रम और उसकी अभिमुखता (ओरिएंटेशन)
   (ऐतिहासिक रूप से हुए बदलाव और वर्तमान स्थिति)
3. प्राध्यापक गण और उनकी विशेषताएँ
4. वर्षवार शोध की प्रमुख उपलब्धियां
5. विषय में प्रमुख शोध प्रकाशन (नाम एवं वर्ष सहित)
6. विभाग द्वारा किया गया अनुप्रयुक्त कार्य
7. वर्षवार विभाग के अकादमिक आयोजन (संगोष्ठी आदि)
8. भविष्य की अकादमिक योजना तथा अपेक्षाएँ

उपर्युक्त विवरण की 50 प्रतियाँ अधिकतम दो पृष्ठों में (आगे–पीछे) भी उपलब्ध करवा सकें तो सुविधा होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

¼jktsæ izlkn feJ½

izfr % समस्त संबंधित।

izfrfyfi% ✪ कुलपति कार्यालय, ✪ प्रतिकुलपति कार्यालय, ✪ संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक), ✪ लीला प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।